मु.नं.–37 / 2020 GCMS ID-2020/00064 ता.रजु–02.09.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

दीना मीना पुत्र श्री जयलाल मीना, ग्राम नयागांव, पोस्ट–रानीपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–09.02.2021

1. स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत आम चुनाव व प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 16.09.2020, 02.02.2021, 09.02.2021 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 55क के प्रावधानानुसार करौली जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में स्थाई समितियों का गठन के संबंध में पंचायतीराज विभाग के पत्रांक–एफ.4(2)स्थाईसमितियां / विधि / पंस / 2020 / 3666 दिनांक 05.06.2020 की पालना, ग्राम पंचायत मोंगेपुरा में दिनांक 15.06.2020 को स्थाई समितियों के गठन की कार्यवाही, ग्राम पंचायत मोंगेपुरा में 15.06.2020 के पश्चात् गठित समितियों की प्रति, आवेदन प्राप्ति से सूचना दिये जाने तक की रजिस्टर व नोटशीट की प्रति आदि सूचनाएं चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को आंशिक सूचना उपलब्ध करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक–29–30 दिनांक 15.01.2021 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करते हुए प्रति इस न्यायालय को प्रेषित की गई है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रदान कर दी गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा ना तो इस न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया है और ना ही उपस्थित आया है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली